

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
311/2023

दायर दिनांक
01.09.2023
उनवान

निर्णय दिनांक
14.02.2024

1. कैलाश पुत्र श्री गोरू जाट जाति जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. मथुरा लाल पुत्र श्री देबी लाल जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चांदू पत्नी श्री हरनाथ जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. बरजी पत्नी श्री काना जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. रूप लाल पुत्र हरनाथ जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राधेश्याम पुत्र हरनाथ जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. लहेरू पुत्र गणेश जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. सांवरा पुत्र हरनाथ जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. काली पुत्री काना जाट आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री काना जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. गली पुत्र श्री काना जाट आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री काना जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. सायर पुत्री काना जाट आयु नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती बरजी पत्नी श्री काना जाट आयु वयस्क निवासी रूपाहेली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा राज0


—विपक्षीगण

उपस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी प्रघुमन सिंह शक्तावत

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 102 की अभिलिखित आराजियात 877, 908, 908/1 कुल किता 03 कुल रकबा 2.2761 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा


आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है। इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये

नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 10 के समन बाद तामिल प्राप्त नहीं हुए। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रूपाहेली प0ह0 रूपाहेली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दान्थल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076-2079 के खाता संख्या 102 की अभिलिखित आराजियात 877, 908, 908/1 कुल किता 03 कुल रकबा 2.2761 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आब्द निवृत्ति अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा